इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2022–माघ 8, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2022

क्र. एफ–5–45–2019–पचपन .– मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्रमांक 11 सन् 1990) की धारा 11 एवं 12 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू किया जाना और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिए गए समस्त छात्रों पर लागू होंगे।

(3) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ.– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्रमांक 11 सन् 1990);

(ख) "अतिरिक्त पंजीयन प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 13 के अधीन परिषद् द्वारा उनको प्रदत्त अतिरिक्त पंजीयन प्रमाणपत्र, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली अथवा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पत्रोपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों, की अर्हता रखते हों;

(ग) "मण्डल" से अभिप्रेत है, ऐसे आवेदकों, जो अधूरी आवश्यक चिकित्सा सेवा पूर्ण करना चाहते हैं, के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का विनिश्चय करने के लिये राज्य सरकार द्वार गठित मण्डल;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी;

(ङ) "अनिवार्य चिकित्सा सेवा कालावधि" से अभिप्रेत है, उपाबंध 1 के कॉलम 4 में यथाविहित एम.बी.बी.एस. / स्नातकोत्तर पत्रोपाधि / स्नातकोत्तर उपाधि / सुपर-स्पेशियलिटी उपाधि उत्तीर्ण होने के पश्चात् किसी छात्र/छात्रा द्वारा पूर्ण की जाने वाली सेवा कालावधि;

(च) "अनिवार्य चिकित्सा सेवा" से अभिप्रेत है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परामर्श से चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवाएं;

(छ) "अनिवार्य चिकित्सा सेवा प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इस प्रभाव का प्रमाण पत्र, कि छात्र/छात्रा द्वारा बंधपत्र की राशि जमा कर दी गई है अथवा अनिवार्य चिकित्सा सेवा पूर्ण कर ली गई है अथवा अनिवार्य चिकित्सा सेवा से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(ज) "परिषद्" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भोपाल;

(झ) "गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है, परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को नियम 3 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र;

(ञ) "स्नातक चिकित्सा छात्र/छात्रा" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई छात्र/छात्रा जिसने मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित ऐसे मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि प्राप्त की है तथा एक वर्ष की इंटर्नशिप पूर्ण की है जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली अथवा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् भोपाल द्वारा विहित किया जाए;

(ट) "चिकित्सा महाविद्यालय" से अभिप्रेत है केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश राज्य में स्थित समस्त शासकीय स्वशासी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय;

(ठ) "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है, परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को अन्य राज्य की आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीकरण करने हेतु नियम 3 के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र;

(ड) "स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट इंटर्नशिप की अवधि सफलता पूर्वक पूरी करने के बाद अधिनियम की धारा 11 के अधीन परिषद द्वारा जारी स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ढ) "स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्र/छात्रा" से अभिप्रेत है, कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर पत्रोपाधि / स्नातकोत्तर उपाधि / सुपर स्पेशियलिटी की उपाधि प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली अथवा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् से मान्यता प्राप्त हो;

(ण) "अनंतिम पंजीयन प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है, इंटर्नशिप की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पूर्व परिषद् द्वारा नियम 3 के अधीन जारी किया गया अनंतिम पंजीयन प्रमाण-पत्र;

(त) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है, राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित कोई व्यक्ति;

(थ) "राज्य चिकित्सा रजिस्टर" से अभिप्रेत है, परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अधीन संधारित किया गया रजिस्टर;

(द) "सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा छात्र/छात्रा" से अभिप्रेत है, कोई छात्र/छात्रा जिसने ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय से सुपर स्पेशियलिटी उपाधि जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली अथवा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् से मान्यता प्राप्त हो प्राप्त की है;

3. अनंतिम, स्थाई या अतिरिक्त चिकित्सा पंजीकरण अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया परिषद् द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी करके विनियमित की जाएगी ।

4. पंजीयन प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता -

(1) चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर परिषद् पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो उपाबंध '1' के कॉलम (4) में विहित कालावधि में एक वर्ष जोड़कर, के लिए विधिमान्य होगा।

(2) स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सक पंजीयन प्रमाण-पत्र की विधिमान्य कालावधि के दौरान अनिवार्य चिकित्सा सेवा प्रदान करेंगे।

(3) पंजीयन की विधिमान्यता, निम्नलिखित परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) यदि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी ने पंजीयन प्रमाण पत्र की कालावधि के दौरान संबंधित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य चिकित्सा सेवा कालावधि पूर्ण नहीं की है और यदि उसने उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रम अर्थात् स्नातकोत्तर पत्रोपाधि /स्नातकोत्तर उपाधि / सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तब ऐसी दशा में, जारी किये गये पंजीयन की विधिमान्यता को उच्चतर पाठ्यक्रम की अपेक्षित कालावधि और पूर्ववर्ती उत्तीर्ण उपाधि की अनिवार्य चिकित्सा सेवा की कालावधि तथा प्रवेश दिए गए पाठ्यक्रम की अनिवार्य चिकित्सा सेवा की कालावधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा;

(ख) यदि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अनापेक्षित परिस्थितियों के कारण किसी भी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के बाद अनिवार्य चिकित्सा सेवा को पूरा करने में विफल रहता है तो ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को शेष अनिवार्य चिकित्सा सेवा अवधि को पूरा करने की यदि मण्डल का समाधान हो गया हो। अनुमति मण्डल द्वारा दी जा सकती है:

परन्तु किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का इस तरह के विस्तार का लाभ जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाएगा।

5. अनिवार्य चिकित्सा सेवा देने में असफल रहने की स्थिति में, बांड की राशि संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जमा की जायेगी। निजी चिकित्सा महाविद्यालय के मामले में, बांड की राशि संचालक, चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में जमा की जाएगी। तदुपरांत संबंधित महाविद्यालय या कार्यालय इस प्रभाव का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा तब ही संबंधित पाठ्यक्रम का पंजीयन स्थाई किया जा सकेगा।

6. चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रवेश नियमों में विहित प्रारूप में बंधपत्र चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रवेश के समय छात्र और संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता के मध्य निष्पादित किया जाना जाएगा।

7. अनिवार्य चिकित्सा सेवा पूर्ण करने या नियम 5 के अधीन जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित उपाधि का पंजीयन स्थाई किया जा सकेगा।

8. अनिवार्य चिकित्सा सेवा पूर्ण न करने और नियम 6 के अधीन निष्पादित बांड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में, पंजीयन स्वयमेव ही अस्तित्वहीन हो जाएगा।

9. शिकायतों के निराकरण के लिए, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा शिकायत निवारण प्राधिकारी एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, अपीलीय प्राधिकारी होगा। शिकायतें/अपील इनकी प्राप्ति की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर निराकृत की जाएंगी तदनुसार संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

10. परिषद् इन नियमों को लागू करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित करेगी।

11. निरसन तथा व्यावृत्ति - इन नियमों के ततस्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों द्वारा अच्छादित मामलों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, जो इन नियमों के उपबंधों से अनअसंगत न हो, इन नियमों के ततस्थानी उपबंधों के अधीन जारी किया गया या की गई समझी जाएगी।

उपाबंध - 1

(नियम 2 (ड.) एवं 4 (1)/देखिए)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक चिकित्सा छात्रों के लिए आज्ञापक अनिवार्य चिकित्सा सेवा, अर्थात् :-

क्र	नियम/योजना#	वर्ग	सेवा अवधि	बॉण्ड की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018** में समय-समय पर जारी अनुसूची-3 के बिन्दु क्रमांक 11 (ii) में निर्धारित बंधपत्र प्रारूप अनुसार	सामान्य वर्ग	01 वर्ष	10 लाख
		आरक्षित वर्ग एससी / एसटी / ओबीसी	01 वर्ष	05 लाख
2.	मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा **"मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना"** अंतर्गत सत्र 2018-2019 में जारी आदेश दिनांक 09.07.2018 के बिन्दु क्रमांक 3.2 अनुसार	समस्त वर्ग	02 वर्ष	10 लाख
3.	मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** में जारी एकजाई आदेश दिनांक 05.06.2018 के बिन्दु क्रमांक 3.2 अनुसार	समस्त वर्ग	02 वर्ष	10 लाख
4.	मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा **"पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना"** के अन्तर्गत जारी संशोधित आदेश दिनांक 19.06.2018 के बिन्दु क्रमांक 5.3.6 अनुसार	अन्य पिछड़ा वर्ग	02 वर्ष	10 लाख

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक चिकित्सा छात्रों के लिए आज्ञापक अनिवार्य चिकित्सा सेवा, अर्थात् :-

क्र	नियम/योजना#	वर्ग	सेवा अवधि	बॉण्ड की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018** में समय-समय पर जारी अनुसूची-3 के बिन्दु क्रमांक 11 (ii) में निर्धारित बंधपत्र प्रारूप अनुसार	सामान्य वर्ग	01 वर्ष	10 लाख
		आरक्षित वर्ग एससी / एसटी / ओबीसी	01 वर्ष	05 लाख
2.	मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा **"मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना"** अंतर्गत सत्र 2018-2019 में जारी आदेश दिनांक 09.07.2018 के बिन्दु क्रमांक 3.2 अनुसार	समस्त वर्ग	05 वर्ष	25 लाख
3.	मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** में जारी एकजाई आदेश दिनांक 05.06.2018 के बिन्दु क्रमांक 3.2 अनुसार	समस्त वर्ग	05 वर्ष	25 लाख
4.	मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा **"पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना"** के अन्तर्गत जारी संशोधित आदेश दिनांक 19.06.2018 के बिन्दु क्रमांक 5.3.6 अनुसार	अन्य पिछड़ा वर्ग	05 वर्ष	25 लाख

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों के लिए आज्ञापक अनिवार्य चिकित्सा सेवा, अर्थात् :–

क्र.	नियम/योजना#	वर्ग	सेवा अवधि	बॉण्ड की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018** में समय-समय पर जारी अनुसूची-3 के बिन्दु क्रमांक 11 (ii) में निर्धारित बंधपत्र प्रारूप अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि हेतु	समस्त वर्ग	01 वर्ष	10 लाख
2	**मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018** में समय-समय पर जारी अनुसूची-3 के बिन्दु क्रमांक 11 (ii) में निर्धारित बंधपत्र प्रारूप अनुसार स्नातकोत्तर पत्रोपाधि हेतु	समस्त वर्ग	01 वर्ष	08 लाख

निजी चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों के लिए आज्ञापक अनिवार्य चिकित्सा सेवा, अर्थात् :-

क्र	नियम/योजना#	वर्ग	सेवा अवधि	बॉण्ड की राशि
1	2	3	4	5
1	**मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018** में समय-समय पर जारी अनुसूची-3 के बिन्दु क्रमांक 11 (ii) में निर्धारित बंधपत्र प्रारूप अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि हेतु	समस्त वर्ग	01 वर्ष	10 लाख
2	**मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018** में समय-समय पर जारी अनुसूची-3 के बिन्दु क्रमांक 11 (ii) में निर्धारित बंधपत्र प्रारूप अनुसार स्नातकोत्तर पत्रोपाधि हेतु	समस्त वर्ग	01 वर्ष	08 लाख

\# प्रवेश नियम/शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

No. F 5-45-2019-LV.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 read with Section 11 and 12 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), the State Government, hereby, make the following rules, namely:—

RULES

1. Short title, application and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad (Anivarya Chikitsa Seva) Panjiyan Niyam, 2021.

(2) These rules shall apply to all students admitted in the Government Autonomous Medical Colleges and Private Medical Colleges established in the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990);

(b) "Additional Registration Certificate" means an additional registration certificate granted by the Council under section 13 of the Act to those who have qualified Post Graduate Diploma or Post Graduate Degree or Super-speciality courses recognized by the National Medical Commission, New Delhi or Madhya Pradesh Medical Council;

(c) "Board" means a Board constituted by the Government to decide applications submitted by the applicants desirous to complete the Compulsory Medical Service;

(d) "Competent Authority" means the authority authorised by the State Government;

(e) "Compulsory Medical Service Period" means the period of service contemplated in column (4) of Annexure-1 to be completed by a student after passing the degree of M.B.B.S./ Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree/Super speciality;

(f) "Compulsory Medical Service" means the services as may be specified by the Department of Medical Education in consultation with the Department of Public Health and Family Welfare;

(g) "Compulsory Medical Service Certificate" means a certificate issued by the Competent Authority stating that the bond amount has been deposited by the student or compulsory medical service has been completed; or has been granted conditional exemption from compulsory medical service as the case may be;

(h) "Council" means the Madhya Pradesh Medical Council, Bhopal;

(i) "Good Standing Certificate" means a certificate issued by the Council under rule 3 to the registered medical practitioner;

(j) "Graduate Medical Student" means a student who has obtained MBBS Degree from recognised Medical Colleges established in the State of Madhya Pradesh and completed one year Internship, as provided by National Medical Commission, New Delhi or Madhya Pradesh Medical Council;

(k) "Medical College" means all Government Autonomous and Private Medical Colleges situated in the State of Madhya Pradesh recognised by the Central or State Government;

(l) "No Objection Certificate" means a certificate issued by the Council under rule 3 to the registered medical practitioner to get registration in Medical Council of other State;

(m) "Permanent Registration Certificate" means a permanent registration certificate issued by the Council under section 11 of the Act after successful completing the period of internship as specified by the National Medical Commission, New Delhi;

(n) "Post-graduate Medical Student" means such a student who has obtained Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree/ Super speciality

Degree from any medical college recognized by the National Medical Commission, New Delhi or Madhya Pradesh Medical Council;

(o) "Provisional Registration Certificate" means the Provisional Registration Certificate issued by the Council under rule 3 before completing the specified period of internship;

(p) "Registered Medical Practitioner" means any person enrolled in the State Medical Register;

(q) "State Medical Register" means the register maintained by the council under section 11 of the Act;

(r) "Super speciality Medical Student" means a student who has obtained, from Medical College, any Super Speciality Degree which is recognised by the National Medical Commission, New Delhi or Madhya Pradesh Medical Council.

3. The process for Provisional, Permanent or Additional Registration or no-objection certificate shall be regulated by the Council by way of issuing the circular, from time to time.

4. Validity of the Registration Certificate –

(1) On passing the degree of M.B.B.S., Post Graduate Diploma, Post Graduate Degree or Super-speciality course from Medical College, the Council shall issue registration certificate having validity for a period prescribed in column (4) of Annexure '1' + one year.

(2) Graduate and Post Graduate Doctors shall provide compulsory medical service during the validity period of the registration certificate.

(3) The validity of the registration may be extendable in the circumstances here-in-after given, namely:-

(a) If the registered medical practitioner has not completed the compulsory medical service period after passing the concerned course during the validity period of the registration certificate and if he gets an admission in the higher medical course means Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree/ Super-speciality Course, then in such case, the validity of issued registration can be extended in the requisite period of higher course and the period of compulsory medical service of the previously passed degree and the period of compulsory medical service of the admitted course;

(b) If the registered medical practitioner fails to complete the compulsory medical service after passing any of the courses, due to unavoidable circumstances, then if the Board is satisfied with the justification, permission to such registered medical practitioner to complete the remaining compulsory medical service period may be granted by the Board:

Provided that such extension shall be given to any registered medical practitioner once in his life time.

5. In case of failure to render compulsory medical service, amount of bond shall be deposited in the respective Government Medical College and in case of Private Medical College, amount of bond shall be deposited in office of Director, Medical Education. Thereafter concerning college or office shall issue a certificate to that effect only then the registration of concerned course may be made permanent.

6. Bond in the format prescribed in the Admission Rules of the Department of Medical Education shall be executed between the student and the Dean of the concerned Medical College at the time of admission in medical course.

7. Upon completion of compulsory medical service or submission of certificate prescribed in rule 5 the registration of the concerned degree may be made permanent.

8. In case of non compliance of compulsory medical service and not depositing amount of Bond executed under rule 6, the registration shall cease to be effective.

9. The Complaint Redressal Authority shall be the Commissioner, Medical Education and the Appellate Authority shall be the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Medical Education Department, for disposal of complaints. The complaints/Appeals shall be disposed off within a period of three months from the date of its receipt and concerned person shall be informed accordingly.

10. The Council shall develop online process to apply these rules.

11. **Repeal and Saving.**- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are, hereby, repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Annexure – 1

[see rule 2 (e) and 4(1)]

The compulsory medical service mandatory for the medical students of M.B.B.S. of the Government Autonomous Medical College, namely:-				
No.	Rules/Department	Category	Period of service	Amount of Bond
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	According to the bond format prescribed in point number 11 (ii) of Schedule-3 issued from time to time in the Madhya Pradesh Medical Education Admission Rules, 2018.	General	01 year	10 lacs
		Reserved SC/ST/OBC	01 year	05 lacs
2.	According to the point number 3.2 of the order dated 09.07.2018 issued in the session 2018-2019 by the Department of Technical Education and Skill Development, Government of Madhya Pradesh under "Chief Minister Jan Kalyan (Education Promotion) Scheme".	All Category	02 years	10 lacs
3.	According to the point number 3.2 of the order dated 05.06.2018 issued by the Madhya Pradesh Government Technical Education and Skill Development Department in the "Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana"	All Category	02 years	10 lacs
4.	According to point number 5.3.6 of the revised order dated 19.06.2018 issued under the "Backward Class Scholarship Scheme" by the Government of Madhya Pradesh, Backward Classes and Minority Welfare Department	OBC	02 years	10 lacs
The compulsory medical service mandatory for the medical students of M.B.B.S. of the Private Medical College, namely :-				
1.	According to the bond format prescribed in point number 11 (ii) of Schedule-3 issued from time to time in the Madhya Pradesh Medical Education Admission Rules, 2018.	General	01 year	10 lacs
		Reserved SC/ST/OBC	01 year	05 lacs
2.	According to the point number 3.2 of the order dated 09.07.2018 issued in the session 2018-2019 by the Department of Technical Education and Skill Development, Government of Madhya Pradesh under "Chief Minister Jan Kalyan (Education Promotion) Scheme".	All Category	05 years	25 lacs
3.	According to the point number 3.2 of the order dated 05.06.2018 issued by the Madhya Pradesh Government Technical Education and Skill Development Department in the "Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana"	All Category	05 years	25 lacs
4.	According to point number 5.3.6 of the revised order dated 19.06.2018 issued under the "Backward Class Scholarship Scheme" by the Government of Madhya Pradesh, Backward Classes and Minority Welfare Department	OBC	05 years	25 lacs

The compulsory medical service mandatory for the Post Graduate Doctors of the Government Autonomous Medical College, namely :-				
No.	Rules/Department	Category	Period of service	Amount of Bond
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	For Postgraduate Degree, according to the bond format prescribed in point number 11 (ii) of Schedule-3 issued from time to time in the Madhya Pradesh Medical Education Admission Rules, 2018.	All Category	01 year	10 Lacs
2.	For Postgraduate Diploma, according to the bond format prescribed in point number 11 (ii) of Schedule-3 issued from time to time in the Madhya Pradesh Medical Education Admission Rules, 2018.	All Category	01 year	08 Lacs
The compulsory medical service mandatory for the Post Graduate Doctors of the Private Medical College, namely :-				
1.	For Postgraduate Degree, according to the bond format prescribed in point number 11 (ii) of Schedule-3 issued from time to time in the Madhya Pradesh Medical Education Admission Rules, 2018.	All Category	01 year	10 Lacs
2.	For Postgraduate Diploma, according to the bond format prescribed in point number 11 (ii) of Schedule-3 issued from time to time in the Madhya Pradesh Medical Education Admission Rules, 2018.	All Category	01 year	08 Lacs

The amended provisions issued by the Madhya Pradesh Government from time to time will be applicable under the various schemes of the admission rules/ Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. दुबे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.